का लेख नहीं लिया गया है जो आवश्यक
रूप से लिया जावे। पत्रावली दिनांक 13/4/20
को पेश हो।

कोरोना लॉक डाउन के कारण कार्य स्थगित
रहा, पत्रावली आज पेश हुई, P.O. सा.
शिविर कार्य में व्यस्त है, पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 5/10/20 को पेश
हो।

5/10/20 वकील वादी हाजिर, प्रतिवादीगण की तरफ से
नहीं करायी है। अतः अब आवश्यक
रूप से कराये जाकर पत्रावली दिनांक
12-11-20 को पेश हो।

12/11/20 वकील वादी हाजिर, प्रतिवादीगण की तरफ से
नहीं करायी है। अतः अब तरफे देकर आखिरी
अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक
21-12-20 को पेश हो।

21/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य
स्थगन/P.O. सा. के समक्ष कार्य में
व्यस्त होने से अन्तरिम जारी पेशी हो
गई गत आदेश की पालना में पत्रावली
दिनांक 25-1-21 को पेश हो।
हस्ताक्षर रीडर

25/1/21 वकील वादी हाजिर, तरफे देकर कई अवसर
दिये जाने के उपरान्त भी तरफे नहीं
करायी है। अतः अब वादी का complete
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले
अनुसार रेकर बाद तकमील हासिल
दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)